

मांग संख्या 58
मुख्य शीर्ष 2245

मद क्रमांक 1 से 5

राज्य के अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के अंतर्गत फायर उपकरण एवं अन्य सामग्री क्रय हेतु ₹ 500 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृति किया गया है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।